

मैसर्स एटीएमए ट्यूब प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य
(अशोक भान, न्यायमूर्ति)

अशोक भान और उनके अग्रवाल न्यायमूर्ति के समक्ष

मैसर्स एटीएमए ट्यूब प्रोडक्ट्स लिमिटेड - याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य, - उत्तरदाता।

सी.डब्ल्यू.पी. 1995 की सं. 4625

19 अगस्त 1996

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 226/227 - आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 226 (3) - अधिनियम की धारा 226 (3) (1) के तहत याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं भेजा गया - याचिकाकर्ता का बैंक खाता इस आधार पर संलग्न किया गया है कि उसके पास चुककर्ता करदाता-कंपनी का धन है - धारा 226 (3) के तहत कार्यवाही अधिनियम की प्रकृति कठोर कार्यवाही की है - उस व्यक्ति को, जिससे धन देय है या कर निर्धारण अधिकारी को भुगतान करने के लिए देय हो सकता है, को लिखित में नोटिस जारी करना धारा 226 (3) के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य है - संबंधित व्यक्ति को नोटिस के अभाव में गार्निशी कार्यवाही की कोई वैध शुरुआत नहीं की जाती है - याचिकाकर्ता को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अनसुना कर दिया जाता है।

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत कार्यवाही गार्निश कार्यवाही की प्रकृति में है, यानी, एक ऋण की कुर्की जिसके माध्यम से निर्णय-लेनदार निर्णय देनदार से देय धन तक पहुंचने में सक्षम है जो किसी तीसरे व्यक्ति के हाथों में है। अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए उस व्यक्ति को, जिससे करदाता का धन बकाया है या देय हो सकता है या हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो करदाता के पास धन रखता है या बाद में रख सकता है, उसे लिखित में नोटिस जारी करना अनिवार्य है। संबंधित व्यक्ति को नोटिस के अभाव में, गार्निशी कार्यवाही शुरू करने की कोई वैध प्रक्रिया नहीं है। अधिनियम की धारा 226 (3) के खंड (vi) के तहत, एक व्यक्ति जिसे इस उप-धारा के तहत नोटिस भेजा जाता है, उसे शपथ पर एक बयान द्वारा नोटिस पर आपत्ति करने का अधिकार है कि मांगी गई राशि या उसका कोई हिस्सा निर्धारित को देय नहीं है या वह करदाता के लिए या उसके लिए कोई पैसा नहीं रखता है। फिर, इस उप-धारा में निहित किसी भी चीज़ के लिए ऐसे व्यक्ति को किसी भी धन या उसके हिस्से का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा भी मामला हो। हालांकि, यदि कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को पता चलता है कि ऐसा बयान किसी विशेष सामग्री में गलत था, तो संबंधित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से नोटिस की तारीख पर करदाता को अपनी देयता की सीमा तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

(पैरा 10)

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 226 (3) के खंड (एक्स) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत नोटिस जारी किया गया है, उसके अनुसरण में भुगतान करने में विफल रहता है, केवल तभी उसे डिफॉल्ट में करदाता माना जाएगा। वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 226 (3) (आई) के तहत याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था और सीधे आयकर के सहायक आयुक्त, जांच सर्कल द्वितीय, चंडीगढ़ द्वारा बैंक में पड़े याचिकाकर्ता की राशि को संलग्न करने के लिए बैंक को एक नोटिस भेजा गया था।

(पैरा 10)

अभिनिर्धारित किया कि यदि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 226 (3) (i) के तहत नोटिस भेजा गया होता, तो उसे अधिनियम की धारा 226 (3) (6) के तहत अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिलता, जिसमें राशि का भुगतान करने के लिए अपनी देयता से इनकार किया गया होता क्योंकि उस पर डिफॉल्ट रूप से करदाता का पैसा बकाया नहीं था। याचिकाकर्ता को डिफॉल्ट में तभी करदाता घोषित किया जा सकता है जब इस उपधारा के तहत नोटिस जारी किया गया हो। याचिकाकर्ता को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना 5,53,920.00 रुपये की देयता के साथ अनसुना किया गया है और दंडित किया गया है।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता की ओर से आर. के. गर्ग, अधिवक्ता।

संजय गोयल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. साहनी; प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

अशोक भान, न्यायमूर्ति

- (1) यह आदेश 1995 की सिविल रिट याचिकाओं 4625 और 4626 का निपटारा करेगा, क्योंकि वे तथ्यों के एक ही सेट से उत्पन्न होते हैं, जो कानून के एक ही प्रश्न को जन्म देते हैं। तथ्य 1995 के सीडब्ल्यूपी 4625 से लिए गए हैं।
- (2) इस याचिका में आयकर अधिनियम, 1901 की धारा 226 (3) के तहत सहायक आयकर आयुक्त, जांच सर्कल -2, प्रतिवादी संख्या 2 (इसके बाद 'प्रतिवादी नंबर 2' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी अनुलग्नक पी -1 को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा को निर्देश दिया गया है: सेक्टर 17, चंडीगढ़, प्रतिवादी संख्या 3 (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) याचिकाकर्ता के खाते में 5,53,920.00 रुपये तक की किसी भी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने के लिए।
- (3) याचिकाकर्ता-कंपनी आयकर विभाग के साथ एक मौजूदा करदाता है। अधिनियम के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है; न ही याचिकाकर्ता की ओर से आयकर विभाग को कोई राशि बकाया है। याचिकाकर्ता-कंपनी ने नोटिस के संबंध में अपने बैंक से सूचना प्राप्त करने पर, अनुलग्नक पी -1 ने तुरंत प्रतिवादी संख्या 2 को प्रस्तुत किया और 27 मार्च, 1995 को एक पत्र प्रस्तुत किया, अनुलग्नक पी -2। इस पत्र

मेसर्स एटीएमए ट्यूब प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य

(अशोक भान, न्यायमूर्ति)

में, याचिकाकर्ता-कंपनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और न ही अधिनियम के तहत कोई राशि उनके खिलाफ बकाया है और नोटिस, अनुबंध पी -1, अवैध होने के नाते, वापस ले लिया जाए। हालांकि, चर्चा के दौरान, याचिकाकर्ता कंपनी को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा सूचित किया गया था कि इसके गुप्ता सी/ ओ, स्टैंडर्ड कैरियर्स, एस.सी.ओ. 43, सेक्टर 7, चंडीगढ़ और ट्रांसहोलिंग प्राइवेट लिमिटेड, एस.सी.ओ. 457-53, सेक्टर 35-सी, चंडीगढ़ नामक एक कंपनी पर आयकर के बकाया के कारण 16 लाख रुपये की राशि बकाया है। उस पर स्टैंडर्ड कैरियर्स के एस. के. गुप्ता का कुछ पैसा बकाया है। चूंकि, ट्रांसहोलिंग प्राइवेट लिमिटेड उक्त कंपनी को जारी अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत नोटिस के अनुसरण में उक्त राशि जमा करने में विफल रही थी, इसलिए याचिकाकर्ता कंपनी को आक्षेपित नोटिस, अनुबंध पी -1, इस आधार पर जारी किया गया है कि यह मेसर्स ट्रांसहोलिंग प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। याचिकाकर्ता-कंपनी के प्रतिनिधियों ने तुरंत प्रतिवादी नंबर 2 को स्थिति स्पष्ट की कि याचिकाकर्ता कंपनी का मेसर्स ट्रांसहोलिंग प्राइवेट लिमिटेड से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता-कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है, जिसका प्रबंधन एक अलग निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है और इसका डिफॉल्टर करदाता एस. के. गुप्ता पर कोई बकाया नहीं है। यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत जारी नोटिस, अनुलग्नक पी -1 अवैध, अनुचित, अधिकार क्षेत्र के बिना और अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है, जिसे याचिकाकर्ता को नोटिस के बिना जारी किया गया है और इसलिए, रद्द किया जाना चाहिए; यह कि कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकते हैं, जिससे चूककर्ता करदाता का पैसा बकाया है।

- (4) चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से चूककर्ता एस. के. गुप्ता को कोई पैसा बकाया नहीं था, इसलिए इससे कोई वसूली नहीं की जा सकती।
- (5) दायर जवाब दावे में, प्रतिवादियों द्वारा लिया गया रुख यह है कि स्टैंडर्ड कैरियर्स के एस. के. गुप्ता पर 16 लाख रुपये की राशि बकाया थी, जिन्होंने 22 फरवरी, 1995 को एक पत्र दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा मेसर्स ट्रांसहोलिंग प्राइवेट लिमिटेड से 5,53,920.00 रुपये की राशि वसूली योग्य है। तदनुसार, ट्रांसहोलिंग प्राइवेट लिमिटेड को अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत नोटिस जारी किया गया था। यह भी कहा गया है कि ट्रांसहोलिंग प्राइवेट लिमिटेड और याचिकाकर्ता एक ही प्रबंधन के तहत मेसर्स आत्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकाइयां हैं।
- (6) दायर प्रतिकृति में, लिखित बयान में किए गए कथनों का खंडन किया गया है। यह फिर से कहा गया है कि याचिकाकर्ता का ट्रांसहोलिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोई संबंध नहीं है और दोनों कंपनियां दो अलग-अलग प्रबंधनों के तहत दो अलग-अलग इकाइयां हैं। हालांकि, यह स्वीकार किया गया है कि उस पर ट्रांसहोलिंग प्राइवेट लिमिटेड का 92,982.00 रुपये बकाया है।

- (7) लिखित बयान में यह कहने के अलावा कि ट्रांसहोलिडिंग प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता की सहयोगी कंपनी है, आयकर विभाग द्वारा इस दलील को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि याचिकाकर्ता ट्रांसहोलिडिंग प्राइवेट लिमिटेड की बहन है। याचिका के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिकृति में, यह कहा गया है कि यह अपने स्वयं के निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित एक अलग कानूनी इकाई है और इसका ट्रांसहोलिडिंग प्राइवेट लिमिटेड से कोई लेना-देना नहीं है। याचिकाकर्ता-कंपनी एस. के. गुप्ता की देनदार नहीं है, जो डिफॉल्ट में करदाता हैं। ट्रांसहोलिडिंग प्राइवेट लिमिटेड को केवल 92,982.00 रुपये की राशि बकाया है, जिसे अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत नोटिस जारी किया गया था। अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।
- (8) अधिनियम की धारा 190 से शुरू होने वाले अध्याय XVII के तहत कर संग्रह और वसूली का तरीका प्रदान किया गया है। अधिनियम की योजना निर्धारित अवधि के भीतर देय कर का भुगतान करने में विफल रहने वाले करदाता को चूककर्ता के रूप में मानना है। अधिनियम की धारा 220 इस बात से संबंधित है कि कब कोई कर देय हो जाता है और कब किसी करदाता को चूक में माना जाता है। इस धारा की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि यदि धारा 156 के अंतर्गत मांग की सूचना में देय के रूप में विनिदष्ट अग्रिम कर के अलावा कोई राशि है, तो उस स्थान पर नोटिस जारी होने के तीस दिनों के भीतर और नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। कर भुगतान की नियत तारीख समाप्त होने से पहले करदाता द्वारा किए गए आवेदन पर आकलन अधिकारी द्वारा इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है या वह किस्तों द्वारा भुगतान की अनुमति दे सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जो कर निर्धारण अधिकारी मामले की परिस्थितियों में लागू करने के लिए उचित समझे। अधिनियम की धारा 220 (4) के तहत, यदि राशि का भुगतान उप-धारा (2) के तहत सीमित समय के भीतर नहीं किया जाता है या अधिनियम की धारा 220 की उप-धारा (3) के तहत बढ़ाया जाता है, जैसा भी मामला हो, तो करदाता को डिफॉल्ट माना जाएगा।
- (9) 1 अप्रैल, 1988 से कर वसूली अधिकारी, जहां करदाता चूक में पाया जाता है, अपने हस्ताक्षर के तहत फॉर्म संख्या 57 में एक प्रमाण पत्र तैयार कर सकता है जिसमें करदाता से देय बकाया राशि का उल्लेख हो। अधिनियम की धारा 222 के तहत निर्धारित चार तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों का सहारा लेकर देय राशि की वसूली की जा सकती है। यदि चूककर्ता कर वसूली अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है जिसमें चूककर्ता को नोटिस जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो करदाता के खिलाफ वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।
- (10) अधिनियम की धारा 22 के तहत वसूली के अन्य तरीके निर्दिष्ट किए गए हैं। जहां अधिनियम की धारा 222 के तहत कोई प्रमाण पत्र तैयार नहीं किया गया है, वहां कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 226 के तहत प्रदान किए गए किसी एक या

मैसर्स एटीएमए ट्यूब प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य

(अशोक भान, न्यायमूर्ति)

अधिक तरीकों से कर की वसूली कर सकता है। अधिनियम की धारा 226 की उपधारा (3), जो इस याचिका में उठाए गए विवाद से निपटने का प्रासंगिक प्रावधान है, निम्नानुसार है: —

- (3) (i) कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर लिखित में नोटिस द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह कर निर्धारण अधिकारी या उसके खाते में धन रखने वाले या उसके पास रखने वाले किसी व्यक्ति को कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को देय धन होने या रखे जाने के बारे में तत्काल भुगतान करे। नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर या उसके भीतर (धन देय होने या रोके जाने से पहले नहीं) इतनी राशि जो बकाया राशि के संबंध में निर्धारित द्वारा देय राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो या पूरी राशि जब यह उस राशि के बराबर या उससे कम हो।
- (ii) इस उप-धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित के लिए या उसके खाते में कोई धन रखता है या बाद में रख सकता है और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे खाते में संयुक्त धारकों के शेयरों को तब तक माना जाएगा, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए।
- (iii) नोटिस की एक प्रति करदाता को उसके अंतिम पते पर भेजी जाएगी जिसे आकलन अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को जाना जाता है और संयुक्त खाते के मामले में सभी संयुक्त धारकों को उनके अंतिम पते पर भेज दिया जाएगा जो कर अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को ज्ञात हैं।
- (iv) इस उप-धारा में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस उप-धारा के तहत नोटिस जारी किया गया है, ऐसे नोटिस का पालन करने के लिए बाध्य होगा, और विशेष रूप से, जहां डाकघर, बैंकिंग कंपनी या बीमाकर्ता को ऐसा कोई नोटिस जारी किया जाता है, तो किसी भी प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए कोई पासबुक, जमा रसीद, पॉलिसी या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, इसके विपरीत किसी भी नियम, अभ्यास या आवश्यकता के बावजूद, भुगतान किए जाने से पहले अनुमोदन या इस तरह का किया जाना।
- (v) नोटिस की तारीख के बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी संपत्ति के संबंध में कोई भी दावा, जिसके संबंध में इस उप-धारा के तहत नोटिस जारी किया गया है, नोटिस में निहित किसी भी मांग के खिलाफ शून्य होगा।
- (vi) यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस उप-धारा के तहत नोटिस भेजा जाता है, शपथ पर एक बयान द्वारा आपत्ति करता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई हिस्सा निर्धारित का बकाया नहीं है या उसके पास करदाता के लिए या उसके लिए कोई धन नहीं है, तो इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जिससे ऐसे

व्यक्ति को ऐसी किसी राशि या उसके हिस्से का भुगतान करने की आवश्यकता हो, जैसा भी मामला हो। लेकिन यदि यह पाया जाता है कि ऐसा बयान किसी विशेष सामग्री में गलत था, तो ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आकलन अधिकारी या कर वसूली अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा, जो नोटिस की तारीख पर करदाता के प्रति अपनी देयता की सीमा तक या इस अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि के लिए करदाता की देयता की सीमा तक होगा। जो भी कम हो।

- (vii) कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर, इस उप-धारा के तहत जारी किसी भी नोटिस में संशोधन या रद्द कर सकते हैं या ऐसे नोटिस के अनुसरण में कोई भुगतान करने के लिए समय बढ़ा सकते हैं।
- (viii) कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी इस उप-धारा के तहत जारी नोटिस के अनुपालन में भुगतान की गई किसी भी राशि के लिए रसीद प्रदान करेगा, और इस तरह भुगतान करने वाले व्यक्ति को भुगतान की गई राशि की सीमा तक निर्धारिती को अपनी देयता से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा।
- (ix) इस उपधारा के तहत नोटिस प्राप्त होने के बाद करदाता को किसी भी दायित्व का निर्वहन करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आकलन अधिकारी या कर वसूली अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा, जो इस तरह से निर्वहन किए गए करदाता के प्रति अपनी देयता की सीमा तक या इस अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि के लिए करदाता की देयता की सीमा तक, जो भी कम हो।
- (x) यदि वह व्यक्ति जिसे इस उपधारा के तहत नोटिस भेजा गया है, कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को उसके अनुसरण में भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि के संबंध में चूक करने वाला निर्धारिती माना जाएगा और राशि की वसूली के लिए उसके खिलाफ आगे की कार्यवाही की जा सकती है जैसे कि यह उससे बकाया कर था, धारा 222 से 225 में दिए गए तरीके से नोटिस का वही प्रभाव होगा जो धारा 222 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर वसूली अधिकारी द्वारा ऋण की कुर्की का होता है।
- (11) अधिनियम की धारा 226(3) के अंतर्गत कार्यवाहियां ऐसी कार्यवाहियों की प्रकृति की होती हैं अर्थात् किसी ऋण की कुर्की जिसके माध्यम से निर्णय-लेनदार निर्णय-देनदार से देय धन तक पहुंचने में सक्षम होता है जो किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में होता है। अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए उस व्यक्ति को, जिससे करदाता का धन बकाया है या देय हो सकता है या हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो करदाता के पास धन रखता है या बाद में रख सकता है, उसे लिखित में नोटिस जारी करना अनिवार्य है। संबंधित व्यक्ति को नोटिस की अनुपस्थिति में; गार्निशी

मैसर्स एटीएमए ट्यूब प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य

(अशोक भान, न्यायमूर्ति)

कार्यवाही शुरू करने की कोई वैध प्रक्रिया नहीं है। अधिनियम की धारा 226 (3) के खंड (vi) के तहत, एक व्यक्ति जिसे इस उप-धारा के तहत नोटिस भेजा जाता है, उसे शपथ पर एक बयान द्वारा नोटिस पर आपत्ति करने का अधिकार है कि मांगी गई राशि या उसका कोई हिस्सा निर्धारित को देय नहीं है या उसके पास करदाता के लिए या खाते में कोई पैसा नहीं है और फिर, इस उप-धारा में निहित किसी भी चीज के लिए ऐसे व्यक्ति को किसी भी धन या उसके हिस्से का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा भी मामला हो। हालांकि, यदि कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को पता चलता है कि ऐसा बयान किसी विशेष सामग्री में गलत था, तो संबंधित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से नोटिस की तारीख पर करदाता को अपनी देयता की सीमा तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। जब संबंधित व्यक्ति शपथ लेकर यह बयान देता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई हिस्सा उससे करदाता को देय नहीं है, तो उससे वसूली तब तक प्रभावित नहीं हो सकती जब तक कि कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी आगे की जांच न करे, जिसमें संबंधित व्यक्ति संबद्ध हो। जांच करने पर, यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान गलत था, तो वह अपनी देयता की सीमा तक व्यक्तिगत रूप से राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब संबंधित व्यक्ति द्वारा शपथ पर बयान दायर किया जाता है कि मांगी गई राशि उससे करदाता को देय नहीं है, तो विभाग पर यह साबित करने का बोझ आ जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा दायर किया गया बयान गलत है और संबंधित व्यक्ति से करदाता को कुछ राशि बकाया है। अधिनियम की धारा 226(3) के खंड (x) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम की धारा 226(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है, उसके अनुसरण में भुगतान करने में विफल रहता है, तभी उसे चूक में निर्धारित माना जाएगा। वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 226 (3) (i) के तहत याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था और सीधे आयकर, जांच, सर्कल -2, चंडीगढ़ के सहायक आयुक्त द्वारा बैंक में पड़े याचिकाकर्ता की राशि को संलग्न करने के लिए बैंक को एक नोटिस भेजा गया था।

- (12) यदि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 226 (3) (आई) के तहत नोटिस भेजा गया होता, तो उसे अधिनियम की धारा 226 (3) (6) के तहत अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिलता, जिसमें राशि का भुगतान करने के लिए अपनी देयता से इनकार किया गया होता क्योंकि उस पर करदाता का पैसा बकाया नहीं था। याचिकाकर्ता को डिफॉल्ट में तभी करदाता घोषित किया जा सकता है जब इस उपधारा के तहत नोटिस जारी किया गया हो। याचिकाकर्ता को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना 5,53,920.00 रुपये की देयता के साथ अनसुना किया गया है और दंडित किया गया है।
- (13) कार्यवाही बिना किसी अधिकार क्षेत्र के होने के कारण याचिकाकर्ता को परेशान किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए बिना वसूली की मांग की गई थी।

यह प्राथमिक है कि अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत नोटिस जारी करना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। मूल्यांकन अधिकारी को इस प्राथमिक तथ्य को जानना चाहिए था कि याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के इस अवधि के दौरान 5,53,920.00 रुपये की सीमा तक अपने पैसे के उपयोग से वंचित रखा गया था, जिसके लिए हम पूरी तरह से विभाग को जिम्मेदार मानते हैं।

- (14) इस रिट याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जाता है। नोटिस, अनुलग्नक पी-1, को रद्द किया जाता है। प्रत्येक याचिका में लागत 5,000 रुपये निर्धारित की गई है।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी